कोरोना वायरस के सक्रंमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किये निर्देश

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
CH-14-03-2020-6.docx (http://103.203.138.54/news/195192/document/CH-14-03-2020-6.docx)

DESCRIPTION

कोरोना वायरस के सक्रंमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किये निर्देश

जयपुर ,14 मार्च। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस (COVID -90)के सक्रंमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान (विद्यालय, महाविद्यालय ,मदरसे आदि) कोचिंग संस्थान,जिम ,सिनेमाघर एवं थियेटर आदि 30 मार्च, 2020 तक बदं रहेंगे ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ,श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस(COVID -90)संक्रमण को ' पेनडेमिक' घोषित कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि इस दौरान विद्यालयों में चल रही बोर्ड परीक्षाएें एवं महाविद्यालयों में चल रही वार्षिक परीक्षाऐं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जायेगी । मेडिकल ,फार्मेसी ,नर्सिंग कॉलेज तथा जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षाआें का आयोजन किया जाना है, उन संस्थाओं द्वारा कोरोना वायरस(COVID -90)से रोकथाम के संबंध मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा -निर्देशो की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाऐ। उन्होनें कहा कि मेडिकल ,फार्मेसी ,नसिरंग कॉलेजों पर उक्त रोक लागु नही होगी ।

SUPPORTING IMAGES